eCourts Phase –III

- Govt. of India has approved eCourts Phase-III project. It is a Central Sector Scheme spanning over four years, 2023 onwards with financial outlay of Rs. 7210 Crore.

- It is being implemented under the joint partnership of Department of Justice, Ministry of Law and Justice, Government of India and eCommittee, Supreme Court of India in a decentralized manner through respective High Courts to develop a judicial system that would be predictable and transparent for all stake holders.

- eCourts Phase III aims to usher in regime of maximum ease of justice by moving towards digital, online and paperless courts through digitization of the entire court record including legacy record and by bringing in dissemination of e-filing/e-payments through saturation of all court complexes with e-Sewa Kendra.

Expected outcomes of eCourts Phase III

- **Citizens who do not have access to technology can access the judicial services from eSewa Kendras.**
- **Digitization of court records will enable process to become more environment friendly and will reduce the physical movement of documents.**
- **Virtual participation in the court proceedings will reduce cost associated with it, such as travel expenses for witnesses, judges and other stakeholders.**
- **ePayments enable payment of court fees, fines and penalties from anywhere, anytime.**
- **Expansion of eFiling for reducing the time and efforts required to file documents.**
- **Use of Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Optical Character Recognition (OCR), natural Language Processing (NLP) to provide smoother user experience.**
- **Expansion of virtual courts beyond the traffic violation matter to eliminate the presence of litigants or lawyers in the Court.**
- **Further expanding of NSTEP for an automated delivery of court process will enhance transparency and reduce delays in Court Proceedings.**

ई-कोर्ट फेज-तृतीय

❑ भारत सरकार ने ई-कोर्ट फेज-तृतीय परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो **2023** से चार वर्षों तक चलेगी, जिसका वित्तीय परिव्यय रु. **7210** करोड़. है।

❑ **इसे न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ई-कमेटी की संयुक्त साझेदारी के तहत संबंधित उच्च न्यायालयों के माध्यम से विकेंद्रीकृत तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि एक ऐसी न्यायिक प्रणाली विकसित की जा सके जो सभी** हितधारकों के लिए पूर्वानुमानित और पारदर्शी हो।

❑ **ई-कोर्ट फेज-तृतीय का उद्देश्य पुराने अभिलेख सहित न्यायालय के सम्पूर्ण अभिलेख के डिजिटलीकरण के माध्यम से डिजिटल, ऑनलाइन और पेपरलेस न्यायालयों की ओर बढ़ते हुए और सभी न्यायालय काम्पलेक्स में ई-सेवा केंद्र के माध्यम से ई-फाइलिंग / ई-भुगतान का प्रसार करके न्याय को अधिकतम सुगम बनाने की व्यवस्था शुरू करना है।**

CENTRAL BUSINESS DISTRICT CENTRAL BUSINESS DISTRICT CENTRA

ई-कोर्ट फेज-तृतीय के अपेक्षित परिणाम

- जिन नागरिकों के पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं है, वे ई-सेवा केंद्रों से न्यायिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं।
- न्यायालय अभिलेख के डिजिटलीकरण से न्यायिक प्रक्रिया अधिक पर्यावरण अनुकूल बन सकेगी और दस्तावेजों की भौतिक आवाजाही कम हो जाएगी।
- अदालती कार्यवाही में वर्चुल भागीदारी से इससे जुड़ी लागत कम हो जाएगी, जैसे गवाहों, न्यायाधीशों और अन्य हितधारकों के लिए यात्रा व्यय।
- ई-भुगतान किसी भी समय, कहीं से भी न्याय शुल्क, जुर्माना और शास्ति का भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
- दस्तावेज़ दाखिल करने के लिए आवश्यक समय और प्रयास को कम करने के लिए ई-फाइलिंग का विस्तार।
- उपयोगकर्ता को सहज अनुभव प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.), मशीन लर्निंग (एम.एल.), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओ.सी.आर.), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एन.एल.पी.) का उपयोग।
- न्यायालय में पक्षकारों या अधिवक्तागण की उपस्थिति को समाप्त करने के लिए यातायात उल्लंघन मामले से परे वर्चुल कोर्टस का विस्तार।
- न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाली आदेशिका की स्वचलित तामील हेतु एन-स्टेप के और विस्तार से पारदर्शिता बढ़ेगी और न्यायिक कार्यवाही में देरी कम होगी।